ह्यूगो बॉस के सामाजिक मानदंड

1. परिचय

सामाजिक मानदंड ह्यूगो बॉस सप्लायरों के कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों को स्थापित करते हैं और इनमें पर्यावरणीय मानदंड भी शामिल हैं। यह सामाजिक मानदंड ह्यूगो बॉस के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

यह सामाजिक मानदंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के कोर कन्वेंशनों तथा संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित हैं। आवश्यक है कि सभी सप्लायर इन मानदंडों का अनुपालन करें। ह्यूगो बॉस आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक मानदंडों में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामाजिक मानदंडों में निर्धारित आवश्यकताएं और बाध्यताएं (मानदंड) सप्लायर के सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं चाहें वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थाई कर्मचारी हों या तथाकथित होमवर्कर्स हों।

सप्लायर ह्यूगो बॉस के सामाजिक मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कर्मचारियों को कार्यस्थल में अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचित करने के लिए बाध्य हैं। सप्लायर सामाजिक मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रतिनिधि को नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम ह्यूगो बॉस को देना होगा।

सप्लाय को उचित रूप से सामाजिक मानदंडों का अनुपालन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रलेखित करना होगा।

2. सबकॉन्ट्रैक्टर के कार्यस्थल पर सामाजिक मानदंडों को लागू करना

इसके अतिरिक्त, सप्लायर बाध्य है कि वो अपने सबकॉन्ट्रैक्टरों और सबसप्लायरों को ह्यूगो बॉस के सामाजिक मानदंडों का अनुपालन करने के दायित्व के बारे में सलाह दें और उचित तरीके से ह्यूगो बॉस के सामाजिक मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करे और लागू कराएं। विशेष रूप से, सप्लायर को अपने सबकॉन्ट्रैक्टरों और सबसप्लायरों के साथ एक उपयुक्त व्यवस्था के लिए सहमत होना होगा जिससे ह्यूगो बॉस को इन सामाजिक मानदंडों के अनुसार जाँच करने का अधिकार मिल सके।

3. दिशा निर्देश

3.1 राष्ट्रीय कानूनों और सामाजिक मानदंडों का अनुपालन

सामाजिक मानदंडों के अनुपालन के अतिरिक्त, सप्लायर को नैतिकता से काम करना होगा और अंतरराष्ट्रीय तथा सभी स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर लागू कानूनों का अनुपालन करना होगा, विशेष रूप से उनके प्रत्येक उत्पादन स्थल से संबंधित राष्ट्रीय श्रम संबंधी और सामाजिक कल्याण संबंधी कानूनों का अनुपालन करना होगा।

इसके अलावा, सप्लायर को रिश्वतखोरी, किकबैक या भ्रष्टाचार के किसी भी रूप को सहन नहीं करना चाहिए, उसको होने नहीं देना चाहिए या उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। सप्लायर ह्यूगो बॉस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते से संबंधित किसी निर्णय, कार्य या गितिविधि में गलत तरीके से काम करने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना तो किसी भी मूल्य का दूसरे पक्ष अथवा किसी ह्यूगो बॉस के कर्मचारी को भुगतान करेंगे, उसकी पेशकश करेंगे, देंगे, देने का भरोसा देंगे या भुगतान करने के लिए अधिकृत करेंगे। एक व्यक्ति अनुचित तरीके से तब कार्य करता है जहां वह सद्भावना से कार्य नहीं करता या कोई कार्य इस प्रकार करता है जिसकी कानूनी अनुमति नहीं दे।

इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक मानदंड लागू होने वाले न्यूनतम मानदंड स्थापित करते हैं। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय कानून के लक्ष्य इन सामाजिक मानदंडों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों से मेल खाते हों तो जो प्रावधान कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो लागू रहेंगे।

3.2 बाल श्रम

किसी भी परिस्थिति में सप्लायर बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे। काम करना शुरू करने की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष है; लेकिन कोई भी व्यक्ति तब तक काम करना शुरू नहीं कर सकता जब तक वो उस उम्र का ना हो जाए जब स्कूल में उसकी उपस्थिति अनिवार्य ना रहे। इसके अतिरिक्त, सप्लायर को सुनिश्चित करना होगा कि वो कर्मचारी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, कोई खतरनाक कार्य ना करें और विशेष रूप से ऐसे काम ना करें जो उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के आड़े आए या फिर उनके स्वास्थ्य या उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक या सामाजिक विकास में बाधा डाले।

3.3 बेगारी

किसी भी व्यक्ति को उनकी इच्छा के खिलाफ़ काम पर नहीं रखना चाहिए या जबरन काम नहीं कराना चाहिए। विशेष रूप से सप्लायर किसी भी बेगार मज़दूर, अनुबंधित नौकर, गुलाम या कैदियों से काम नहीं कराएंगे। काम के दौरान या उसके बाद कर्मचारियों के घूमने-फिरने की आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

नियोजन संबंध को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कर्मचारी के जो व्यक्तिगत दस्तावेजों की कानून द्वारा आवश्यकता हों, कर्मचारी को केवल वहीं दस्तावेज़ सप्लायर के पास जमा रखने पड़ेंगे। सप्लायर कर्मचारियों से सिक्यूरिटी डिपॉसिट जमा करने की माँग नहीं कर सकते। ना ही वे कर्मचारियों के पहचान संबंधी कागज़ातों को अपने पास जमा रखेंगे। कर्मचारी सम्यक नोटिस देकर किसी भी समय अपने रोजगार संबंध समाप्त कर सकते हैं।

3.4 मानवीय कार्य वातावरण

सप्लायर को व्यक्तिगत सम्मान, गोपनीयता और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सभी प्रकार के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन या मौखिक दुर्व्यवहार , शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ हर तरह की धमकी या शोषण निषिद्ध है। अनुशासनात्मक उपाय राष्ट्रीय श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानवाधिकारों के मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए।

3.5 भेदभाव का निषेध

सभी कर्मचारियों के साथ उनकी जाति, रंग, लिंग, आयु, सामाजिक, जातीय या राष्ट्रीय मूल, धर्म, कर्मचारी संगठनों (व्यापार संघों सहित) के साथ संबद्धता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, वैवाहिक स्थिति या किसी भी व्यक्तिगत विकलांगता, गर्भवती होने के नाते, या किसी अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं को आधार बनाए बगैर एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें एक समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।एक समान व्यवहार का सिद्धांत नियोजन प्रक्रिया, अनुशासन, सेवा-निवृत्ति और कर्मचारियों को नौकरी से निकालना, वेतन भुगतान और कंपनी पेंशन तथा पदोन्नति के संबंध में विशेष रूप से लागू किया जाना चाहिए।

3.6 अधिकतम कार्य करने के घंटे और न्यूनतम वार्षिक छुट्टी

सप्लायरों को काम के घंटों से संबंधित राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करना चाहिए।यदि राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान ना हो या जो संबंधित आईएलओ कोर कन्वेंशन से कम कड़ा हो, तो सामान्य कार्य सप्ताह 48 घंचे तक सीमित रहेगा।कार्य घंटे (स्वैच्छिक ओवरटाइम सहित) 60 घंटों से अधिक नहीं होने चाहिए। नियोक्ता नियमित रूप से कर्मचारियों को ओवरटाइम करने का आदेश नहीं दे सकते। ओवरटाइम तभी जायज़ है जब कर्मचारी स्वेच्छा से काम करने के लिए सहमत हो या फिर प्रासंगिक सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध द्वारा उसकी इजाजत हो।

लगातार छः कार्य दिवसों के बाद कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश (24 घंटे) लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हर कर्मचारी न्यूनतम कानूनी रूप से स्वीकार्य छुट्टी पाने का हकदार है।

3.7 पारितोषिक

सप्लायर को अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की इच्छा के अनुसार नकदी या प्रकार में उसके काम के लिए पारितोषिक देना होगा। हर कर्मचारी को नियमित कार्य सप्ताह के लिए इतना पारितोषिक प्राप्त करने का अधिकार है जो कर्मचारी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे और कुछ निवल प्रयोज्य आय प्रदान करे।नियोक्ता कम से कम न्यूनतम मजदूरी या उचित प्रचलित मजदूरी (जो भी अधिक हो) का भुगतान करेंगे, मजदूरी संबंधी सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे, और कानून या अनुबंध द्वारा आवश्यक कोई भी अनुषंगी लाभ प्रदान करेंगे।जहां ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेंगी, वहां पर सप्लायर ह्यूगो बॉस के साथ सहयोग करेंगे और जो पर्याप्त पारितोषिक का स्तर हो वो देंगे। वेतन और मजदूरी का भुगतान महीने में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।कर्मचारियों को लिखित रूप में अनुबंध प्राप्त करना होगा और उन्हें रोजगार संबंधों के प्रारंभ होने से पहले हस्ताक्षर करना होगा। पारितोषिक रोजगार अनुबंध का अभिन्न अंग होना चाहिए। पे स्लिप के संबंध में जानकारी लिखित में कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।

सभी ओवरटाइम काम के लिए प्रीमियम दर पर पारितोषिक दिया जाएगा। किन परिस्थितियों में लागू सांविधिक आवश्यकताएं या सामूहिक सौदेबाजी समझौते लागू होंगे। जहां सांविधिक कानून टाइम-ऑफ़ के लिए ओवरटाइम कार्य करके उसकी भरपाई करने की अनुमति देता है, वहां पर इस व्यवस्था को कर्मचारी की सहमति के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

श्रमिक अनुशासन बनाए रखने के लिए सप्लायर कर्मचारी के वेतन से आर्थिक जुर्माना, दंड, या कटौती का प्रयोग नहीं कर सकते। कटौतियाँ स्थानीय कानून द्वारा स्वीकार्य स्तर तक सीमित होनी चाहिए। किए गए उपाय स्पष्ट, प्रलेखित होने चाहिए और उसके लिए कर्मचारी की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।

3.8 स्वास्थ्य और सुरक्षा

सप्लायर कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उन्हें अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ कार्य-वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए और जहां तक संभव हो दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से, सप्लायर को सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए।

ध्याने देने वाले क्षेत्र होंगे आग से सुरक्षा, इमारत, मशीनरी और रसायन सुरक्षा। आपातकालीन मार्ग और सुरक्षा निकास को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए, और उनमें उजाला रहना चाहिए तथा किसी तरह की अड़चन नहीं होनी चाहिए। निकास योजना तैयार की जानी चाहिए और सप्लायर को स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित निकास अभ्यास नियमित रूप से कराना चाहिए, जो कम से कम वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। अग्निशमन संभार उपलब्ध होना चाहिए और मशीनरी तथा खतरनाक सामग्री के साथ काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सप्लायर को अच्छी तरह से सभी किए गए उपाय प्रलेखित करने चाहिए।

सप्लायर को एक वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा जो इन स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

ऊपर उल्लेखित प्रावधान मनोरंजन के स्थानों और कर्मचारियों के आवास पर भी लागू होते हैं यदि सप्लायर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

3.9 किसी भी संघ से जुड़ने और सामूहिक सौदेबाज़ी की स्वतंत्रता

कर्मचारियों को अपनी पसंद के संगठन को स्थापित करने या उससे जुड़ने का अधिकार होगा और समूह के रूप में कार्य परिस्थितियाँ, विशेष रूप से वेतन के संबंध में सौदेबाजी करने का अधिकार होगा। सप्लायर को स्वतंत्र रूप से संबद्ध होने या सामूहिक रूप से सौदा करने के अधिकार का प्रयोग करने

वाले कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही उत्पीड़न, धमकाना या प्रतिशोध लेना चाहिए।

बहर हाल कर्मचारियों के लिए शिकायत करने की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए।

3.10 पर्यावरण की रक्षा

सप्लायर को उत्पादन के देश में लागू सभी पर्यावरणीय नियमों और विनिर्देशों का अनुपालन करना होगा। विशेष रूप से, कूड़े के निपटान, रसायनों और अन्य खतरनाक पदार्थों के साथ काम करने और उनके निपटान, उत्सर्जन और अपशिष्ट जल के निपटान के संबंध में लागू प्रक्रियाओं और मानकों का अुपालन करना होगा और कम से कम न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सप्लायर को पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने और उससे बचने पर लगातार काम करना होगा, और सुनिश्चित करना होगा कि यथासंभव कुशलता से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए।

4. निरीक्षण/ स्व-आंकलन का अधिकार

सप्लायर को सहमत होना होगा कि ह्यूगो बॉस, बिना पूर्व सूचना के, सामान्य कारोबारी घंटे के दौरान सप्लायर या उसके सहयोगियों के कार्य-स्थलों की जाँच कर पुष्टि कर सकते हैं के वे सामाजिक मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं तथा ह्यूगो बॉस द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक व्यक्तियों या संगठनों द्वारा अनुपालन की पुष्टि करा सकते हैं। ह्यूगो बॉस अपने विवेकाधिकार से ऐसे निरीक्षकों का चयन कर सकता है। निरीक्षकों को उनके आगमन पर ह्यूगो बॉस द्वारा अधिकृत होने का प्रमाण दिखाना होगा। सामान्यतः, ह्यूगो बॉस ऐसी जाँचों की लागत वहन करेगा। लेकिन, व्यापारिक संबंधों के शुरू होने से पहले की जाने वाली शुरुआती जाँच की लागत सप्लायर को वहन करनी होगी।

जाँच के परिणामों के आधार पर सप्लायर को समय रहते हुए कुछ सुधार करने का अनुरोध किया जा सकता है।

अगर "खतरे होने" या "अपर्याप्त" जैसे जाँच के परिणाम आते हैं तो सप्लायर को उसके बाद की जाँच की लागत वहन करनी होगी।

ह्यूगो बॉस के अनुरोध पर सप्लायर को जहां तक वे जानते हों, विधिवत रूप से पूरी की हुई स्व-आंकलन प्रश्नावली जमा करनी होगी।

5. प्रतिबंध

प्रतिबंध लगाते समय, ह्यूगो बॉस हर मामले की परिस्थितियों और उल्लंघन की गंभीरता पर विचार करेगा।

अगर ह्यूगो बॉस के विचार से सप्लायर ने ऊपर उल्लेखित प्रावधानों में से कोई एक का उल्लंघन किया है तो सप्लायर को उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे सुधारने के लिए उपयुक्त समय दिया जाएगा। उल्लंघन को सुधारने के लिए निर्धारित की गई अवधि आवश्यक सुधार उपायों के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर सप्लायर सुधार करने के लिए समय दिए जाने के बावजूद भी सुधार नहीं करते तो ह्यूगो बॉस बिना कोई नोटिस दिए, अनुबंधित संबंध को तत्काल प्रभाव के साथ तोड़ देंगे और प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध कराई गई सारी सामग्री को हटा लेंगे।

5.1 इसके अलावा, ह्यूगो बॉस सप्लायर के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं अगर सप्लायर इन मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करते हैं या फिर बार-बार मानदंड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। गंभीर उल्लंघन में विशेष रूप से शामिल है बाल श्रम या बेगारी का इस्तेमाल या धारा 4 के अनुच्छेद 1 के अनुसार अनुचित रूप से निरीक्षण में बाधा डालना।

इसके अलावा, ह्यूगो बॉस उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के लिए सप्लायर से मुआवजे का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।